

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का विवरण : माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पेंड मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0 में पडनेवाली 1.71 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना - माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत विधानसभा /स्कीम का संक्षिप्त विवरण। गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा0 वि0 ठठोली सस्पेंड मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

रु0 23.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

एक मात्र नजदीकी समरेखण है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में ला पायेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

आरक्षित वनभूमि	0.000 है0
राज्य वनभूमि	1.620 है0
वन पंचायत भूमि	0.090 है0
नापभूमि	2.790 है0
योग	4.500 है0

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

नहीं

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

नहीं

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

नहीं

3. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

नहीं

4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक 01/6/2021 स्थान बेरीनाग

बी०के०सिन्हा

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
1-6-2021
बत्साई बन्ध, पो०नि०वि०
बेरीनाग (बिबोरापट)

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अर्न्तगत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा0 वि0 उठोली सस्पोड़ा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी0 में पड़नेवाली 1.71 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड

(ii) जिला

पिथौरागढ़

(iii) जिला वन प्रभाग

पिथौरागढ़

(iv) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.71 हे०

17. पूर्वक्षेपण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: - संलग्न है।

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: चीड़, काफल

(i) वन का प्रकार

राज्य वनभूमि, वन पंचायत

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.2

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संलग्न है।

(iv) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा संलग्न है।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेपण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेपण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : नग्न नहीं

(i) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : संलग्न है।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्पन्नवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेपण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। संलग्न है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग किया जा सकता है। संलग्न है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : संलग्न है

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। सिविल अभि

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। सिविल अभि

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। संलग्न है

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। संलग्न है

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

28. क्या स्थल, जहां अंतर्बलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेशण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। संलग्न है

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों संलग्न है

स्थान: बेरीनाग पिथौरागढ़

तारीख: 25/9/2021

मनोज सनवाल

10-6-21

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़
विनय कुमार भाग

10/9/2021

हस्ताक्षर नाम अधिकारी

पिथौरागढ़ वन प्रभाग

पिथौरागढ़

दि 25/9/2021